



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-08052026-272368
CG-TL-E-08052026-272368

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2176]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2176]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 5 मई, 2026

का.आ. 2267(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 'विशेष रेलवे परियोजना' के रूप में " दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद मंडल के सिकंदराबाद-धोन सेक्शन में तिममापुर और शादनगर स्टेशनों के बीच समपार संख्या 27 के स्थान पर "ऊपरी सड़क पुल" के निर्माण के लिए तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में भूमि अधिग्रहण अधिसूचित करती है; यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. Y/GS/LC 27/eGazette/2026/37A]

एल. सांबशिव राव, मुख्य परियोजना प्रबंधक, गति शक्ति/ II

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 5th May, 2026

S.O. 2267(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies "Road Over Bridge in lieu of LC No. 27 between Timmapur and Shadnagar Stations in Secunderabad - Dhone section of Hyderabad Division over South Central Railway " as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telangana in the District of Mahabubnagar for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Y/GS/LC 27/eGazette/2026/37A]

L. SAMBASIVA RAO, Chief Project Manager Gati Shakti/II